

डिक्री बमुकदमें ईत्तादाई
अन्तर्गत आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी:-उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:-378/2017
अन्तर्गत धारा:-183 आरटीए

1. गुरदेवसिंह पुत्र बचना जाति बावरी निवासी गुड़िया तहसील टिब्बी।
2. हरनामसिंह पुत्र बचना जाति बावरी निवासी गुड़िया तहसील टिब्बी।
3. सरवनणसिंह पुत्र बचना जाति बावरी निवासी गुड़िया तहसील टिब्बी।
4. चन्दकौर पुत्री बचना धर्मपत्नी दलीपसिंह जाति बावरी निवासी हाल सावो की तलवण्डी तहसील तलवण्डी जिला बठिण्डा
-वादीगण

बनाम

1. सोहनसिंह पुत्र भगवानसिंह जाति बावरी निवासी गुड़िया तहसील संगरिया।
-प्रतिवादी

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री बनवारीलाल गौड़ वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री सुभाष चन्द्र गर्ग प्रतिवादी मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है:- चक नं.1 एमकेएस ए के खाता संख्या 34/37 में प.नं. 214/215 मु.नं. 21 कि.नं. 3/.253 है, वादी संख्या 1 व 2 के नाम से तथा इसी चक के खाता संख्या 39/37 में प.नं. 214/215 मु.नं. 21 कि.नं. 4/.253 है. वादीया संख्या 4 के नाम से तथा चक नं. 8 केएचआर के खाता सं. 51/44 में वादीया संख्या 4 के नाम से प.नं. 214/214 मु.नं. 30 कि.नं. 24/1/.127 है. व इसी चक के खाता संख्या 145/44 में प. नं. 214/214 मु.नं. 30 कि.नं. 24/2/.126 है.आराजी के वादीगण खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी उपरोक्त वर्णित आराजी पर अतिचारी के रूप में काबिज है जिसको बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक 27.11.2018 अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 27.11.2018 को जारी किया गया।



(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी